न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

पीठासीन अधिकारी–पवन कुमार (आर.ए.एस.)

वाद संख्याः–04/2021

1. रोहित कुमार पुत्र सुरेन्द्र कुमार जाति अग्रवाल उम्र 39 वर्ष निवासी पदमपुर
2. दीपक कुमार पुत्र सुशील कुमार जाति अग्रवाल उम्र37 वर्ष निवासी पदमपुर तहसील पदमपुर जिला श्री गंगानगर

—— प्रार्थीगण

बनाम्

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर(राज.)

—— अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

::निर्णय:: **दिनांकः–14.06.2021**

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा चक 4 एसपीएस तहसील अनूपगढ का मुरब्बा नं.–5 पत्थर सं.–291/367 की कुल 3.491 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी भूमि में से 1.972 हैक्टर भूमि जरिए पंजीकृत बैयनामा दिनांक–15.05.2013 का सुखजीत कौर पत्नी रेशमसिंह से खरीद की थी। बैयनामा की प्रति संलग्न है। पटवारी हल्का द्वारा उक्त बैयनामा के आधार पर प्रार्थीगण के नाम से इंतकाल सं.–189 दिनांक–05.06.2013 दर्ज किया गया लेकिन पटवारी द्वारा बैयनामा को राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करते समय खरीददार रोहित कुमार पुत्र सुरेन्द्र एवं दीपक कुमार पुत्र सुशील कुमार जाति अग्रवाल निवासी पदमपुर के स्थान पर रोहित कुमार, सुरेन्द्र कुमार, दीपक कुमार पिसरान सुशील कुमार जाति अग्रवाल निवासी पदमपुर सहबन से दर्ज कर दिया है। इंतकाल की प्रति संलग्न है। राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करते समय पटवारी हल्का द्वारा उक्त त्रुटि सहबन से लिपिकिय भूलवश की गई है। जो कि एक सद्भाविक त्रुटि है। जिसे न्यायहित में दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। प्रार्थीगण को पूर्व में उक्त गलत नाम की त्रुटि का इल्म नही हो सका। अब प्रार्थीगण द्वारा जब अपनी उक्त खातेदारी भूमि के कृषि कार्यो के संबंध में जमाबंदी की प्रमाणित प्रति प्राप्त की तो प्रार्थीगण को नाम की त्रुटि का ज्ञान हुआ है जिस पर प्रार्थीगण पटवारी हल्का से जाकर मिले और उक्त त्रुटि को दुरूस्त करने का आग्रह किया तो उनके द्वारा बताया गया कि उक्त त्रुटि बैयनामा का राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करते समय हुई है जो सहबन से गलती से नाम दर्ज हो गया है इसलिए आप अपने सही नाम की दुरूस्ती करवाकर लावें। जिस पर प्रार्थीगण तहसीलदार, अनूपगढ के समक्ष दिनांक–24.03.2021 को उपस्थित हुये ओर राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज हुऐ नाम रोहित कुमार, सुरेन्द्र कुमार, दी[illegible] के स्थान पर सही नाम रोहित कुमार पुत्र सुरेन्द्र एवं दीपक कुमार पुत्र सुशील [illegible] रा[illegible] अभिलेख में दर्ज कर दुरूस्ती करने का निवेदन किया तो उन्होंने कहा कि सक्षम न्यायालय से आदेश लेकर आवें। इसलिए प्रार्थीगण को यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। जमाबंदी में प्रार्थीगण के नाम गलत दर्ज होने से प्रार्थीगण को अपनी उक्त कृषि भूमि [illegible] उपयोग उपभोग करने में बाधा उत्पन्न हो रही ओर भविष्य में भी गलत नाम होने के कारण प्रार्थीगण को काफी कठिनाईयों का सामना करना पडेगा। उक्त त्रुटि राजस्व अभिलेख तैयार करते समय सहबन से कर्मचारियों की गलती से हुई है जो न्यायहित मे दुरूस्त की जानी न्यायसंगत है।

(पवन कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.06.20 12:14:17 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से पैरोकार राज. उपस्थित आए। अप्रार्थी द्वारा प्रकरण के संबंध में रिपोर्ट पेश की। वाके चक 4 एसपीएस की जमाबंदी के खाता सं.–56 पत्थर सं.–291/367 मुरब्बा नं.–5 का किला नं.–6ता8 सालम, 9 में 0.126, 10 में 0.164, 11 में 0.164 व 12ता14 सालम कुल 1.972 हैक्टर कमाण्ड रकबा रोहितकुमार, सुरेन्द्र कुमार, दीपक कुमार पिसरान सुशील कुमार जाति अग्रवाल साकिन पदमपुर ब.हि.ब. खातेदार दर्ज रिकार्ड है। यह इन्द्राज जमाबंदी में जरिए पंजीकृत बैयनामा पंजीयन दिनांक–15.05.2013 से नामान्तरण सं.–189 दिनांक–05.06.2013 वाद स्वीकृति दर्ज हुआ है। पंजीकृत बैयनामा में तत्कालीन खातेदार सुखजीत कौर पत्नी रेशमसिंह जाति जटसिख चक 4 एसपीएस के पत्थर सं.–291/367 मुरब्बा नं.–5 का उक्त वर्णित 1.972 हैक्टर रकबा रोहित कुमार पुत्र सुरेन्द्रकुमार, दीपककुमार पिसरान सुशीलकुमार जाति अग्रवाल साकिन पदमपुर ब.हि. ब. बैय किया था परन्तु इंतकाल सं.–189 खोलते समय पटवारी हल्का द्वारा सहबन से रोहित कुमार, सुरेन्द्र कुमार, दीपक कुमार पिसरान सुशीलकुमार जाति अग्रवाल साकिन पदमपुर ब.हि. ब. खातेदार के नाम से दर्ज हो गया। जिससे रोहित कुमार व दीपक कुमार की वल्दियत ही बदल गई है। तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा दर्ज नामान्तरण सं.–189 जो सहबन से गलत रूप से दर्ज व स्वीकृत होकर जमाबंदी में अंकन हो गया को निरस्त फरमाते हुये पंजीकृत बैयनामा दिनांक–15.05.2013 के अनुसार नवीन प्रविष्टि अंकन कर रोहितकुमार, सुरेन्द्र कुमार, दीपक कुमार पिसरान सुशील कुमार जाति अग्रवाल साकिन पदमपुर ब.हि.ब. खातेदार के स्थान पर रोहितकुमार पुत्र सुरेन्द्र कुमार व दीपककुमार पुत्र सुशीलकुमार जाति अग्रवाल साकिन पदमपुर के अंकन किये जाने की अनुशंषा की है। अतः मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट प्रार्थना पत्र बाबत् राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती का दर्ज करवाने संबंधी स्वीकार योग्य होने के कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

::आदेश::

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार अनूपगढ़ को आदेशित किया जाता है कि चक 4 एसपीएस तहसील अनूपगढ का मुरब्बा नं.–5 पत्थर सं.–291/367 की कुल 3.491 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी भूमि में से 1.972 हैक्टर कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में रोहितकुमार, सुरेन्द्र कुमार, दीपक कुमार पिसरान सुशील कुमार जाति अग्रवाल साकिन पदमपुर ब.हि.ब. खातेदार के स्थान पर रोहितकुमार पुत्र सुरेन्द्र कुमार व दीपककुमार पुत्र सुशीलकुमार जाति अग्रवाल साकिन पदमपुर का अंकन राजस्व रिकॉर्ड में करें। अप्रार्थी तहसीलदार अनूपगढ को उक्त आदेश को राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करने हेतु तहरीर अलग से जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 14/06/2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.06.20 12:14:17 IST
Reason: SelfAttested

(पवन कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ